

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला -हरदा

कमांक/6362/एस.डब्लू/कोरोना/2021

हरदा दिनांक 29/04/2021

“ संशोधित आदेश ”

(अंतर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये, इस कार्यालय के प्रतिबंधात्मक आदेश कमांक/6360/एस.डब्लू./कोरोना/2021 हरदा दिनांक 29.04.2021 धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जारी किये गये आदेश में, मैं संजय गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला हरदा, अतिरिक्त प्रतिबंध लागू करता हूँ:-

1. कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी/विवाह के समारोह पर पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।
2. शनिवार एवं रविवार कोरोना कर्फ्यू के दौरान किराना एवं कृषि से संबंधित दुकानें बंद रहेगीं ।

चुंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा । यह आदेश आज दिनांक 29/04/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील से जारी किया गया ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।



(संजय गुप्ता)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला- हरदा


हरदा दिनांक 29/04/2021

6363

कमांक/ /एस.डब्लू/कोरोना/2021
प्रतिलिप-

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल एवं प्रभारी अधिकारी कोविड-19 जिला हरदा ।
4. आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद ।
5. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा ।
की ओर सदर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. पुलिस अधीक्षक हरदा ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा ।
8. अपर जिला दण्डाधिकारी हरदा ।
9. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा ।

10. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) हरदा ।
11. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, हरदा ।
12. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरदा ।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हरदा ।
14. सहायक संचालक, जनसंपर्क हरदा की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
15. सूचना अधिकारी एन0आई0सी0 हरदा वेब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ।
16. समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार हरदा ।
17. विभाग प्रमुख -----जिला हरदा ।
18. प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम हरदा की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु
19. थाना प्रभारी, थाना-----जिला हरदा की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित ।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला- हरदा